न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय, सुपौल
अग्रिम जमानत आवेदन संख्या– 158 / 2026
परिवाद पत्र सं0– 10 / 2025

	1. रामप्रवेश मंडल पे0 सवद लाल मंडल 2. आशुतोष मंडल पे0 रामप्रवेश मंडल 3. दारो देवी उर्फ द्वोपती देवी पति रामप्रवेश मंडल सभी सा0– कलापट्टी, वार्ड नं0 08, थाना– फुलपरास, जिला–मधुबनी .....आवेदकगण **बनाम्** बिहार सरकार.....विपक्षी	
14/05/26	अभियुक्तगण 1. रामप्रवेश मंडल 2. आशुतोष मंडल एवं 3. दारो देवी उर्फ द्वोपदी देवी उर्फ द्वोपती देवी की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को प्रचालित करते हुए उनके विद्वान अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद मंडल द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अभियुक्तगण बिल्कुल निर्दोष है तथा उन्होंने कोई अपराध नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण के ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी जमानत आवेदन किसी भी न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। प्रार्थी अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है तथा उन्हें ग्रामीण गंदी राजनीति के तहत् फंसाया गया है। प्रार्थी आवेदक सं0 2 का परिवादिनी से कभी कोई शादी नहीं हुई है। प्रार्थी अभियुक्तगण का कहना है कि इस कांड में परिवादिनी एवं उनके परिवारवालों ने षडयंत्र रचकर प्रार्थी आवेदकगण को इस कांड में फंसाया है एवं प्रार्थी आवेदक सं0 2 एवं परिवादिनी के बीच कभी कोई शारीरिक संबंध बनाया गया है। प्रार्थी आवेदकगण के विरुद्ध धारा 85 बी0एन0एस0 के तहत् लगाया गया आरोप नहीं बनता है तथा उनपर लगाया गया आरोप झूठा एवं बेबुनियाद है। प्रार्थी आवेदकगण के विरुद्ध कोई विशिष्ट आरोप नहीं है। प्रार्थी अभियुक्ता धारा 482(2) बी0एन0एस0एस0 की शर्तों को मानने तथा सक्षम जमानतदार देने को तैयार हैं। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर मुक्त करने का निवेदन करते है। विद्वान लोक अभियोजक मो0 अबू जफ़र द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रार्थी अभियुक्ता के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति का है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित नहीं है। प्रस्तुत वाद परिवादिनी गगन कुमारी के नालसी आवेदन के आधार पर धारा 85,126(2), 115(2), 140(2) BNS में दर्ज किया गया है। परिवादनी का संक्षेप में कथन है कि परिवादिनी व मुदालह सं0 2 आशुतोष मंडल के बीच आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था। उसी बीच प्रतिवादी सं0 1 प्रार्थी को शादी का प्रलोभन देकर परिवादिनी के साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे परिवादिनी गर्भवती हो गयी। प्रार्थी परिवादनी को मुदालह सं0 2 आशुतोष मंडल ने गर्भपात करने का बात कहने लगा तथा बोला कि तुमसे शादी जरूर करेंगे लेकिन गर्भपात करवा लो तब अपने माता–पिता को हम शादी के लिए मना लेंगे। प्रार्थी परिवादनी का विवाह हिन्दू रीति–रिवाज के साथ दिनांक 20 / 12 / 2024 को अपने सामर्थ्य से ज्यादा लगभग 7,00,000 / – रूपया खर्च का मुदालह सं0 1 के साथ शादी हुआ तथा विदागरी नहीं हुआ इसलिए परिवादनी के पति (मुदा0 सं0 1) अपने ससुराल में ही खुशीपूर्वक दाम्पत्य जीवन व्यतीत 14 जनवरी 2025 तक रहने लगे। दिनांक 21 / 12 / 2024 को अचानक प्रार्थी के पति को किशनपुर पुलिस आकर ले जाने लगे पूछने पर पुलिस ने बताया कि थाना पर आओ बतायेंगे थाना प्रार्थी के पति को जबरन ले गये प्रार्थी के पति अपना गाड़ी, मोबाईल ले जाने लगा पुलिस ने नहीं लेने दिया। प्रार्थी के पति का मोटरसाईकिल रजि0 नं0 BR07AJ6896 तथा ओप्पो का मोबाईल, मो0 नं0 6203059107 प्रार्थी के पास है। प्रार्थी परिवादनी थाना पर अपने पति को मोबाईल देने गयी तो थाना पर सूचिका को गाली देकर ठेलकर भगा दिया कि तुम्हारा पति कहां है हम नहीं जानते है। परिवादनी पन्द्रह दिनों तक अपने पति का इंतजार की लेकिन परिवादनी को अपने पति का कोई पता नहीं चला तब परिवादनी अपनी मां एवं अन्य समाज के लोगों के साथ कलापट्टी गये तो वहां पर परिवादनी व अन्य समाज के लोगों को लेकर जैसे ही पहुँचे मुदालह सं0 1 रामप्रवेश मंडल बोला तुम कहां आई हो तुमको पांच लाख रूपया अपने हिस्से की जमीन को बचेकर देना होगा तब पूतोहू बनाकर रखेंगे और गंदी गंदी गाली–गलौज करते हुए भगा दिया।	**लगातार..**

14/05/26 **लगातार**	सुना व अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की सुनवाई के क्रम में परिवादिनी न्यायालय में उपस्थित हुई तथा परिवादिनी व उसके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि परिवादिनी अपने पति के साथ रहने के लिए तैयार है तथा यह प्रार्थना की गयी कि न्यायालय द्वारा प्रार्थी अभियुक्तों को मात्र यह निदेर्शित किया जाय कि प्रार्थी अभियुक्तों परिवादिनी को मान–सम्मान के साथ रखेंगे तथा उचित देखभाल करेंगे। परिवादिनी के उपरोक्त कथन के आलोक में प्रार्थी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदित किया गया कि मामले में एक तिथि निर्धारित की जाय, जिस दिन प्रार्थी अभियुक्तगण भी न्यायालय में उपस्थित रहें ताकि उभय पक्षों की उपस्थिति में मामले की सुनवाई की जा सके। आज दिनांक 14/05/2026 को परिवादिनी एवं उसके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा प्रार्थी अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा यह कहा गया कि प्रार्थी अभियुक्तगण के द्वारा उन्हें मोबाईल पर आश्वस्त किया गया था कि वह न्यायालय में आयेगा परंतु आज न तो प्रार्थी अभियुक्तगण आया और न ही उनसे कोई संपर्क हो पाया है। प्रार्थी अभियुक्त आशुतोष मंडल परिवादिनी के पति है एवं प्रार्थी अभियुक्त रामप्रवेश मंडल परिवादनी के ससुर है तथा प्रार्थी अभियुक्त दारो देवी परिवादिनी की सास है। परिवादिनी के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के अवलोकन से विदित होता है कि परिवादिनी व मुदालह सं0 1 आशुतोष मंडल के बीच आपस में प्रेम प्रसंग चल रहा था उसी बीच अभियुक्त सं0 1 रामप्रवेश मंडल परिवादिनी को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जिससे परिवादनी गर्भवती हो गयी। परिवादिनी ने परिवाद पत्र के पैरा 2 में आरोप लगायी है कि परिवादिनी को मुदालह सं0 2 आशुतोष मंडल ने गर्भपात करने के लिए कहने लगा तथा बोला कि तुमसे शादी जरूर करेंगे, गर्भपात करवा लो, तब अपने माता–पिता को हम शादी के लिए मना लेंगे। परिवादिनी के द्वारा दाखिल परिवाद पत्र के पैरा 3 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि परिवादिनी की शादी दिनांक 20/12/2024 को सात लाख रूपया खर्च कर मुदालह सं0 रामप्रवेश मंडल के साथ हुआ था लेकिन विदागरी नहीं होने पर परिवादिनी के पति अपने ससुराल में ही दिनांक 14 जनवरी 2025 से खुशीपूर्वक रह रहा था। अभिलेख के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थी अभियुक्तगण परिवादिनी के साथ दहेज की मांग करता था एवं मांग पूरी नहीं होने पर उसे प्रताड़ित करते थे और परिवादिनी के पति की दूसरी शादी कर देने की बात करते थे। इसी तरह का बयान जांच साक्ष्य के रूप में मीरा देवी (परिवादिनी के भाई की पत्नी है) ने अपना बयान दी है। इस प्रकार अभियुक्तगण द्वारा परिवादिनी को दहेज के लिए मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उनका शोषण करना एवं उसे गर्भपात कराने के लिए दबाव डालने जैसा जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा अभियुक्तगण को न्यायालय में सुलह समझौता हेतु बार–बार मौका दिये जाने के बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे यह प्रतीत होता है कि अभियुक्तगण परिवादिनी को शादी के नाम पर शारीरिक शोषण कर छोड़ दिया गया है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा प्रार्थी अभियुक्तगण पर परिवादिनी के द्वारा दहेज की मांग पूरी न किये जाने पर उसका मानसिक रूप से शोषण करना एवं गर्भपात कराने के लिए दबाव डालने का प्रत्यक्ष एवं गंभीर आरोप को देखते हुए उन्हें अग्रिम जमानत पर मुक्त करना उचित प्रतीत नहीं होता है। **अतः प्रार्थी अभियुक्तगण 1. रामप्रवेश मंडल 2. आशुतोष मंडल एवं 3. दारो देवी उर्फ द्वोपदी देवी उर्फ द्वोपती देवी** की ओर से दाखिल **अग्रिम जमानत आवेदन खारिज** किया जाता है। लेखापित (राकेश कुमार–तृतीय) अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय सुपौल	